कृषि अनुसंधान केन्द्र

श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

फतेहपुर–शेखावाटी 332 301

जिला : सीकर (राजस्थान)

M. 9461541032

zdr.fatehpur@sknau.ac.in

क्रमांक :एफ( )/लेखा/कृ.अ.के./एफटीआर/2018/2163 दिनांकः 04-06-18

<u>अल्पकालीन निविदा सूचना</u>

कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर–शेखावाटी के फार्म पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभिन्न कृषि कार्यो के लिए श्रमिक आपूर्ति, ड्राईवर आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा के लिऐ पंजीकृत संस्था/पंजीकृत प्लेसमेंट एजेंसी होना आवश्यक है। निविदा दिनांक 13.06.2018 को दोपहर 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र 200/– रूपये नगद जमा करवाकर कार्यालय समय में प्रातः 10.00 से सॉय 5.00 बजे तक कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते हैं। अथवा निविदा फार्म श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर की वेबसाइड **<u>www.sknau.ac.in</u>** से डाउनलोड कर निविदा फार्म का शुल्क राशि रूपये 200/– का डी.डी. लगाकर कर भी कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है। निविदा फार्म दिनांक 13.06.2018 को दोपहर 1.00 बजे तक जमा करवाने है। निविदा निविदादाता के पक्ष में छुटने पर धरोहर राशि 9500/– बैंकर चैक/डी.डी. जमा करवानी होगी। निविदा दिनांक 13.06.2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे कमेटी के समक्ष खोली जायेगी। इस निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा। उक्त निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण **<u>www.sknau.ac.in</u>** एवं कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्षेत्रीय निदेशक (अनु0)

	कृषि अनुसंधान केन्द्र श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविघालय, जोबनेर **फतेहपुर–शेखावाटी** 332 301 जिला : सीकर (राजस्थान)	**M. 9461541032** **zdr.fatehpur@sknau.ac.in**

क्रमाक :एफ( )/लेखा/कृ.अ.के./एफटीआर/2018/ **दिनांकः**

अल्पकालीन निविदा सूचना

कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर–शेखावाटी के फार्म पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभिन्न कृषि कार्यो के लिए श्रमिक आपूर्ति, ड्राईवर आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा के लिऐ पंजीकृत संस्था/पंजीकृत प्लेंसमेंट एजेंसी होना आवश्यक है। निविदा दिनांक 13.06.2018 को दोपहर 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र 200/– रूपये नगद जमा करवाकर कार्यालय समय में प्रातः 10.00 से सॉय 5.00 बजे तक कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते हैं। अथवा निविदा फार्म श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविघालय, जोबनेर की वेबसाइड **www.sknau.ac.in** से डाउनलोड कर निविदा फार्म का शुल्क राशि रूपये 200/– का डी.डी. लगाकर कर भी कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है। निविदा फार्म दिनांक 13.06.2018 को दोपहर 1.00 बजे तक जमा करवाने है। निविदा निविदादाता के पक्ष में छुटने पर धरोहर राशि 9500/– बेंकर चैक/डी.डी. जमा करवानी होगी। निविदा दिनांक 13.06.2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे कमेटी के समक्ष खोली जायेगी। इस निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा। उक्त निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण **www.sknau.ac.in** एवं कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्षेत्रीय निदेशक (अनु0)

कृषि अनुसंधान केन्द्र
श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविघालय, जोबनेर
फतेहपुर–शेखावाटी 332 301
जिला : सीकर (राजस्थान)

निविदा प्रपत्र

वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभिन्न कृषि कार्यो हेतु श्रमिक आपूर्ति एवं ड्राईवर आपूर्ति हेतु निविदा।

1.	**योजना का नामः** i. शस्य वानिकी परियोजना (7–t(91)AICRP on Agroforestry) ii. कृषि अनुसंधान केन्द्र फार्म के कार्य (Revolving found)
2.	**बजट मदः** i. 7–t(91)AICRP on Agroforestry) ii. Revolving found/ 2F Non Plan
3.	**कार्य की अनुमानित अवधिः** वित्तिय वर्ष 2018–19 (31 मार्च 2019)
4.	**धरोहर राशि की प्रकृति व राशिः** बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्रॉफ्ट द्वारा रूपये कुल धरोहर राशि 9500/– निविदा पक्ष में छुटने पर करवानी होगी।
5.	**निविदा फार्म की कीमत** : रूपये 200/–
6.	**निविदा संदर्भ** : कृषि कार्यो हेतु श्रमिक आपूर्ति, ड्राईवर आपूर्ति
7.	**निविदा प्रपत्र** : **एक**
8.	**निविदा प्राप्त करने का समय व दिनांक** : कार्यालय कार्य दिवस में सुबह10.00 से सांय 5.00 बजे तक
9.	**निविदा खोलने की दिनांक व समय** :– 13.06.2018 दोपहरः 2.00 बजे
10.	**निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि** : 13.06.2018 दोपहर बाद 1.00 बजे तक
11.	**निविदा खोलने की तिथि** : 13.06.2018 दोपहर बाद 02.00 बजे तक
12.	**निविदा खोलने का स्थान** : कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर
13.	**पत्र व्यवहार हेतु पता** : क्षेत्रीय निदेशक (अनुसंधान)कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर– 332301
14.	**फर्म द्वारा घोषणा कि फर्म काली सूचि में नहीं है।**
15.	**दरें नीचे दर्शायी गई तालिका में देनी है**

cont…

कृषि अनुसंधान केन्द्र
श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविघालय, जोबनेर
फतेहपुर–शेखावाटी 332 301
जिला : सीकर (राजस्थान)

निविदा प्रपत्र

वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभिन्न कृषि कार्यो हेतु श्रमिक आपूर्ति एवं ड्राईवर आपूर्ति हेतु निविदायें।

1.बोलीदाता/ संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा।

क्र0सं0	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक(नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आयकर (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

(II) जॉब बेसिस पर सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी।

क्र0सं0	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदुरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत (13.36 प्रतिशत)	ESI दर प्रतिशत (4. 75प्रतिशत)*	साम्रगी राशि/ उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदुरी दर (प्रतिदिन)	श्रमिकों की संख्या	राशि					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		अकुशल	213	लगभग 725 मानव दिवस कार्य	155000					
		अर्द्व कुशल	223							
		कुशल/ ड्राईवर	233	लगभग 150 मानव दिवस कार्य	35000					

*ESI दर यदि फतेहपुर–शेखावाटी में देय है तो उपापन संस्था द्वारा दिया जायेगा।

Note: GST दर नियमानुसार दय होगी।

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1 से 7 तक की पूर्तियॉ सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा ही की जाकर बोली दस्तावेज में ही अंकित कर उपलब्ध कराई जायेंगी तथा केवल स्तम्भ संख्या 8 एवं 9 मे ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जा सकेगी)

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय
तिथि, पूर्ण पता एवं मोबाइल नम्बर

निविदा की शर्ते :–

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रिय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
2. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक(नियमन एवं उन्मूनल) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवदेक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग हेतु अर्हत होंगे। पंजीकृत प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपी पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
3. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातो में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को अगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को अगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
4. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
5. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी कर भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी में श्रम विभाग कर अधिसूचना से समय–समय पर वृद्वि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
6. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा। जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदुरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
7. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अकिंत किया जाएगा।
8. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
9. संवेदक द्वारा श्रमिकों के देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा करायें गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
10. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधिके अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों , अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालन नहीं की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वय उतरदायी होगा।
11. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

12. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औधोगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधनों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने कार्यमुक्त करने नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
13. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.आई.एस करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
14. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।
15. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नही करते हुए इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदुरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृत प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के उपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
16. उपापन संस्था द्वारा संवदेक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप् से प्रेषित की जायेगी
17. प्रस्तावित निविदा फार्म मुहरबन्द में क्षेत्रीय निदेशक, कृषि अनुसंधान केन्द्र फतेहपुर शेखावाटी को लिफाफे के उपर निविदा '' कार्य अनुबन्ध '' लिखकर प्रस्तुत करना होगा। निविदा फार्म निविदा की दरों में किसी भी प्रकार की काट–छॉट स्वीकृत नही की जावेगी।
18. निविदादाता (ठेकेदार) निविदा फार्म प्रस्तुत करने से पूर्व समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें एवं समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने के पश्चात ही निविदा फार्म प्रस्तुत करें। निविदा प्रार्थी के पक्ष में छुटने पर धरोहर राशि रू0 9500/– जमा करानी होगी। इस कार्य की अनुमानित लागत 1.90 लाख रूपये है।
19. निविदादाता के पास श्रमिक आपूर्ति का लाईसेंस होना आवश्यक है जो निविदा फार्म के साथ प्रस्तुत करना होगा, बिना लाईसेंस के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
20. निविदादाता को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक श्रमिकों का भुगतान करना होगा चाहे बिलों का भुगतान प्राप्त किया हो या नहीं। ठेके के अधीन कार्यरत श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा देय न्यूनतम दरों (वेतन) से कम भुगतान नहीं करना होगा।
21. अनुबन्ध की अवधि आदेश की तारीख से 31.03.2019 तक के लिए मान्य होगी।
22. किसी भी नाबालिक (18 वर्ष से कम आयु) व 55 साल से ज्यादा आयु एवं कार्य करने में असक्षम व्यक्ति को कार्य पर नही लगाया जायेगा।
23. निविदादाता द्वारा लगायें गयें श्रमिकों को सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य सम्पादित करना होगा। श्रमिकों का व्यवहार एवं कार्य असंतोषजनक पायें जाने पर तुरंत प्रभाव से हटाना होगा।
24. निविदादाता को अपना आई.डी. प्रूफ व मोबाईल नम्बर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
25. विभिन्न कार्यो को उनकी प्राथमिकता के अनुसार विभागाध्यक्ष/फार्म इन्चार्ज/फार्म मैनेजर, शस्य वैज्ञानिक या क्षेत्रीय निदेशक द्वारा मनोनीत व्यक्ति तय करेंगे और उसी आधार पर ठेकेदार द्वारा श्रमिक उपलब्ध करा कर कार्य का निष्पादन कराया जायेगा। ठेकेदार को रात्रि में फसलों की सिंचाई व अन्य कार्य जैसे चौकीदारी आदि केवल पुरूष श्रमिकों से ही करवाना होगा।
26. निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को कार्यालय समय में कृषि अनुसंधान केन्द्र में उपस्थित रहना होगा। कृषि अनुसंधान केन्द्र में प्रतिदिन चाहने वाले श्रमिकों की संख्या व दिनांक कृषि अनुसंधान केन्द्र के सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा फार्म पर उपलब्ध रजिस्टर में दर्ज कार्य अनुसार निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होने व रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करने होगें।

27. भुगतान केवल किये गये कार्य का ही किया जायेगा तथा किसी भी कार्य के लिए कोई अग्रिम राषि नहीं दी जायेगी। कार्य की आवश्यकता को मध्येनजर रखते हुए कार्य की समय अवधि घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

28. यदि निविदादाता (ठेकेदार) द्वारा समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं करायें गये तो कार्य की आवष्यकता को देखते हुए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर ठेकेदार की दर से दो गुणा तक श्रमिक लगा कर पूर्ण करा लेंगें जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा अमानत राशि में से किया जायेगा तथा उतनी ही राषि कृषि अनुसंधान केन्द्र उसकी अमानत में से पैनल्टी के रूप में काटेगा। समय पर कार्य सम्पादन न कराने, श्रमिक उपलब्ध न कराने व निविदा शर्तो को न मानने पर ठेकेदार को भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा।

29. यदि निविदादाता अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोडता है तो उसके द्वारा जमा अमानत राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

30. निविदादाता को यथासंभव पूर्व में ही कार्य हेतु दिन व समय बता दिया जायेगा, फिर भी दिन व समय प्रकृति पर निर्भर करेगा जिसके लिए निविदादाता को तुरंत श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी। निविदादाता द्वारा समय पर कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में जों भी हानि होगी वह निविदादाता को वहन करनी होगी। निविदादाता यदि कृषि, प्रायोगिक कार्य, चौकीदार आदि कार्यो की महत्ता एवं गुणवत्तानुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है या कार्य अधुरा छोड़ता है तो कृषि अनुसंधान केन्द्र उन शेष कार्यो को अपनी जिम्मेदारी से पूर्ण करायेंगें जिसका भुगतान द्वारा जमा अमानत राशि पुनः सात दिनों के अन्दर जमा करानी होगी। इस प्रकार की प्रवृत्ति की यदि 3 बार पुनरावृत्ति होती है तो कृषि अनुसंधान केन्द्र को निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा एवं निविदादाता की अमानत राशि भी जब्त कर ली जायेगी।

31. ड्राईवर के पास वाहन चलाने का लाइसेंस होना अनिवार्य है।

32. निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकारी क्षेत्रीय निदेशक कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर शेखावाटी को होगा।

33. निविदा फार्म श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविघालय, जोबनेर की वेबसाइड **www.sknau.ac.in** से डाउनलोड कर निविदा फार्म का शुल्क राशि रूपये 200/— का डी.डी. लगाकर कर भी कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है।

उक्त निविदा की शर्तो को मैनें भली भॉति पढ लिया है और समझ लिया है, मैं इनसे सहमत हूॅ और इनका पालन करूॅगा।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय
तिथि, पूर्ण पता एवं मोबाइल नम्बर